राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 29/22 दायर दिनांक 06.04.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रोडू पुत्र सोनू जाति भांभी निवासी ग्राम काकनियावास तह0 रूपनगढ़

......वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 , धारा 136 रा0भू–रा0अधि0 1956

दिनांक 09.09.2022

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की स्वामित्व, आधिपत्य एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम काकनियावास पटवार हल्का बुहारू भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार ख0न0 115 रकबा 0.9708 है0, 695/390 रकबा 0.9869 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 1.9577 है0 है जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी के नाम हिस्सा सम्पूर्ण एकल खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम सहवन से नन्दा दर्ज है जबकि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम सोनू है। वादी के पिता का नाम त्रुटिवश नन्दा इन्द्राज हो गया है जबकि वादी के पिता का नाम सही एवं वास्तविक नाम सोनू है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का सहवन से गलत नाम रोडू पुत्र नन्दा के स्थान पर वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम रोडू पुत्र सोनू का इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहते है, जिसको दुरूस्त करवा कर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करवा कर वादी के पिता का सही नाम रोडू पुत्र नन्दा के स्थान पर रोडू पुत्र सोनू का इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर इन्द्राज करवाना चाहते है। वादी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम रोडूराम पुत्र सोनू बलाई दर्ज है। वादी के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम सहवन से त्रुटिवश नन्दा अंकित होने से वादी के पिता के नाम में भिन्नता के कारण एक ही व्यक्ति के भिन्न, अलग–अलग नाम नन्दा व सोनू हो गये है। वादी की कृषि भूमि में वादी के पिता का नाम नन्दा गलत नाम अंकित हो जाने से किसान कार्ड बनवाने, कृषि भूमि के विकास, सुधार , मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वादग्रस्त कृषि आराजी में अपने हिस्से पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकलें लेकर बैंक गये तो बैंक के अधिकारियों ने वादीगण की जमीन की जमाबन्दी व वादी के पहचान के दस्तावेजों को देखकर वादी को कहा कि उक्त कृषि भूमि में तुम्हारे पिता का नाम नन्दा है तथा तुम्हारे पहचान दस्तावेज आधार कार्ड आदि में नाम सोनू है। इस कारण बैंक लोन देने में असक्षम है। इस कारण वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम काकनियावास की जमाबन्दी अन्तिम [illegible] संवत 2070–73 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 286 में ख0न0 115 रकबा 0.9708 है0, 695/390 रकबा 0.9869 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 1.9577 है0 भूमि रोडू पुत्र नन्दा हि0 पूर्ण जाति भांभी सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। वादी का वाद स्वीकार कर वादी के पिता का नाम रोडू पुत्र नन्दा के स्थान पर रोडू पुत्र सोनू दर्ज किया जाता है तो प्रकरण में सरकार का राजहित प्रभावित नहीं होता है। वकील वादी की ओर से वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिस पर वादी संख्या 4 के बयान लिये गये। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Jahagal
Date: 2023.02.14 12:25:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सेजू पुत्र नन्ता व सेजू पुत्र सोनू एक ही व्यक्ति है। अतः साक्ष्यों के अभाव में वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2023.02.14 12:25:02 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)
व इजलास श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0 29/22

1. रोडू पुत्र सोनू जाति भांभी निवासी ग्राम काकनियावास तह0 रूपनगढ़

......वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 , धारा 136 रा0भू–रा0अधि0 1956

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर वादी का खारिज किया जाता है।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.09.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2023.02.14 12:25:02 IST
Reason: SelfAttested